तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
22/10/24	~~पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी एकपक्षीय।~~ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से विवादित आराजी के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है,जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की संभावना है। प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ग्राम बागावास तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा की खसरा संख्या 38,46,72 कुल रकबा 59.01 बीघा भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी सहखातेदारी में अवस्थित होने के कारण विप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि में दखलदान्जी करते रहते है,इस कारण प्रार्थी की ओर से बंटवाड़ा का वाद पेश किया है। श्री न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर स्थगन आदेश पारित किया गया है,जिसे मूलवाद के निर्णय तक यथावत रखा जाना आवश्यक है। अंत में निवेदन किया कि श्री न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावें। हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बागावास तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा की खसरा संख्या 38,46,72 कुल रकबा 59.01 बीघा भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी की सह–खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी की ओर से विवादित आराजी में माफिक हिस्सानुसार बंटवाड़ा करवानें का वांछित अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी राहत प्राप्त करने का हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योकि विवादित आराजी का विधिवत बंटवाड़ा नहीं रखा है,यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.2.2021 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा